राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 1222

दिनांकः 27.02.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 1324–25 दिनांक 15.01.18 से पुलिस थाना डग के अभियोग सं0 198 / 17 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शंकर सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति सौधिया राजपूत उम्र 25 साल निवासी निपानिया थाना डग के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.12.2017 को श्री रणजीत सिंह स0उ0नि0 मय जाप्ता वास्ते गश्त इलाका व चैकिग हेतु रवाना होकर निपानिया जा रहा था कि मेरूखेडी तिराहे पर एक व्यक्ति खडा मिला, जो पुलिस जाप्ते को देखकर भागने लगा। जिस पर शक होने से हमराही जाप्ते की मदद से डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शंकर सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति सौध्यिा राजपूत उम्र 25 साल निवासी निपानिया थाना डग होना बताया। जिसे चैक किया तो एक देशी रिवाल्वर सिक्स राउण्ड की मिली। अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो अपने पास अनुज्ञापत्र होना नही बताया। मौके पर कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 198 / 17 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जब्तशुदा देशी रिवाल्वर सिक्स राउण्ड का आरर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करावाया गया तो जब्तशुदा देशी रिवाल्वर सिक्स राउण्ड फायर करने योग्य पाया गया तथा फायर आर्म्स की जद मे आना बताया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मगन लाल एएसआई थाना डग व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी रिवाल्वर सिक्स राउण्ड को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त शंकर सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति सौध्यिा राजपूत उम्र 25 साल निवासी निपानिया थाना डग के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॅा0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड